

निर्णय बड़जलास डॉ. गौरव सैनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

प्रकरण सं0 40/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

1. ए यू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. (पूर्व में ए यू फाइनेन्सोरस (इंडिया) लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी
मानसिंह भीना, तिसरा पलोर सन्नी ट्रेड सेन्टर, न्यू आतिश मार्केट, जयपुर 302020

_____ प्रार्थी

बनाम

1. आयुश फैशन पाईंट पता मैन मार्केट पिपलाई सवाई माधोपुर 322214ऋणी
2. श्रीमती आयुश गुप्ता निवासी खरेली सवाई माधोपुरसहऋणी
3. मुकेश कुमार गुप्ता निवासी खरेली सवाई माधोपुर अन्य पता सम्पत्ती स्थित खसरा नं0 174/15.95,
पट्टा न. 23, मैन मार्केट पिपलाई ग्राम पंचायत पिपलाई तहसील बामनवाससहऋणी

The Application under section 14 of the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002

—:आदेश:—

दिनांक 24.12.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से एडवोकेट भानू कुमार सिंघल, द्वारा **The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी/सहऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 28/09/2021 को प्रार्थी बैंक से राशि 13,00,000 (तेरह लाख रुपये) रू0 की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थीगण की मैन मार्केट पिपलाई ग्राम पंचायत पिपलाई तहसील बामनवास जिला गंगापुर सिटी में स्थित सम्पत्ति खसरा नं0 174/15.95, पट्टा नं. 23 जिसका कुल क्षेत्रफल 527.22 वर्गफीट है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि व ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 08/09/2024 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक को दिनांक 10/09/2024 तक राशि 11,94,017 (ग्यारह लाख चौरानवे हजार सतरह रुपये मात्र) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज व अन्य खर्च, लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा राशि व देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक को अप्रार्थीगण द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 08/09/2024 को व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर एन0पी0ए0 घोषित किया गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 10/09/2024 तक राशि 11,94,017 (ग्यारह लाख चौरानवे हजार सतरह रुपये मात्र) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्च लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसे भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण का



[Handwritten Signature]
24/12/24


**जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)**

भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण की मैन मार्केट पिपलाई ग्राम पंचायत पिपलाई तहसील बामनवास जिला गंगापूर सिटी में स्थित सम्पत्ति खसरा नं० 174/15.95, पट्टा नं. 23 जिसका कुल क्षेत्रफल 527.22 वर्गफीट है, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगापूर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत पुलिस अधीक्षक, गंगापूर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, बामनवास को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, गंगापूर सिटी व तहसीलदार, बामनवास को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी क्रम में अप्रार्थीगण को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




24/12/24
(डॉ. गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी
राजस्थान (राज०)